International Journal of Multidisciplinary Allied Research Review and Practices
IJMARRP ISSN No: 2455-1570 (Volume 3, Issue IX, September 201(

भारत में बालश्रम कल्याण – एक विश्लेषण

डॉ0 कृतिका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबन्धन विभाग
आई0टी0एम0 कॉलिज, अलीगढ़ (उ0प्र0)

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और बच्चा (बालक) इस इकाई का सबसे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सदस्य है। समाज की प्रगति एवं उत्थान के लिये आवश्यक है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए विशेष योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार किए जाएँ। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध पत्र प्रमुखतः चार भागों– (1) बालकों के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान, (2) बाल श्रमिकों के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान, (3) देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की स्थिति, (4) बाल श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु सुझाव, में विभक्त कर तैयार किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। इस संविधान में बच्चों के विकास, सुरक्षा आदि के लिये विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं, उनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं – संविधान में स्त्रियों और बालकों के संरक्षण हेतु प्रावधान किये गये हैं। यह 15(3) अनुच्छेद 15(1) और (2) में दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है। यह उपबन्धित किया गया है कि ''स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।''1

मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिये जाने वाले श्रम को प्रतिबन्धित करता है। इस उपबन्ध के किसी भी उल्लेख को एक दण्डनीय अपराध घोषित करता है।2 (अनु0 23)

बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। इनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से संविधान में व्यवस्था की गयी है कि चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों पर लगाने को प्रतिबन्धित करता है।3 (अनु0 24) नीति–निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करें, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और

राजनैतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्था की गयी है कि :–

1. पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
2. कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
3. बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।4 (अनु0 39 घ,ड,च)

भारत का संविधान राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता को उपलब्ध करने के लिये निर्देश देता है।5 (अनु0 42)

संविधान राज्य से यह भी अपेक्षा करता है कि वह कर्मकारों के लिए उचित वेतन, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा।6 (अनु0 43)

वैधानिक प्रावधान – देश में हुयी औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक प्रभावशाली घटना है। इस नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से तीव्र गति से विकास तो हुआ है, साथ ही समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश भी हुआ है। देश में समय–समय पर अनेक सामाजिक विधान पारित हुए हैं जो कि विभिन्न रोजगारों में कार्यरत बाल श्रमिकों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनमें बाल (श्रम अनुबन्ध) अधिनियम 1933, बाल श्रमिक रोजगार, अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948 आदि प्रमुख हैं। इन समस्त अधिनियमों में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इन अधिनियमों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबन्धित किया गया है। अब तक के बने अधिनियमों में अनेक कमियाँ

थीं जैसे किन व्यवसायों एवं उद्योग धन्धों में बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है स्पष्ट नहीं था, साथ ही जिन उद्योग धन्धों में बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध नहीं था, वहाँ उनके कार्य करने की दशाएँ क्या होगी, के स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। इन कमियों को दूर करने के लिए बाल श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1986[7] पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न हैं :–

1. इस अधिनियम में 'बाल' शब्द की एक समान परिभाषा कानून के अनुरूप की गयी। इस अधिनियम के लागू होने पर बाल नियोजन अधिनियम, 1938 समाप्त हो गया।
2. इस अधिनियम के अनुसार बालक वह माना जाएगा जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। किशोर वह व्यक्ति जिसकी 14 वर्ष की आयु से अधिक हो किन्तु 18 वर्ष का न हुआ है। वयस्क वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
3. अधिनियम की धारा–5 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।
4. अधिनियम की धारा–7 में बाल श्रमिकों के कार्य के घंटे नियत किये गये हैं। एक बालक एक समय में लगातार तीन घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। तीन घंटे बाद एक घंटे का अवकाश दिया जायेगा। कुल कार्य करने का समय अवकाश के एक घंटे को सम्मिलित कर 6 घंटे से अधिक नहीं होगा। रात्रि के 6 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच किसी भी बाल श्रमिक को ओवर टाइम पर नहीं रखा जायगा।
5. इस अधिनियम की धारा–8 के अनुसार एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रखा जायेगा।
6. जिन संस्थाओं में बाल श्रमिक कार्यरत हैं उन्हें एक माह के अन्दर इसकी सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को देना अनिवार्य है।
7. धारा–13 के अनुसार बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकारें नियम बनाकर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।
8. धारा–14 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 माह से एक वर्ष तक की सजा या 10,000 रूपये जुर्माना या दोनों ही दिए जा सकते हैं।

इस अधिनियम के अतिरिक्त 12 अगस्त 1987 को तत्कालीन केन्द्रीय श्रममंत्री श्री पी0ए0 संगमा ने संसद में तीन सूत्रीय नीति की घोषणा की जिसके मुख्य अंश निम्न हैं :–

1. कानूनी कार्यवाही योजना, 2. बाल श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण एवं विकास पर ध्यान देना, 3. परियोजनाओं पर आधारित कार्य योजनाएँ तैयार कराना। इस नीति के तृतीय भाग के अन्तर्गत बाल श्रमिक बाहुल्य 10 क्षेत्रों में परियोजनाएँ प्रारम्भ करके तीस हजार बाल श्रमिकों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

जोखिम भरे उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिये सन् 2004 में भारत सरकार एवं अमेरिका के संयुक्त सहयोग से 4 करोड़ डालर की लागत से **'इंडस'** नामक परियोजना देश के 21 जिलों में प्रारम्भ की गई। केन्द्र सरकार ने भी सन् 2006 से रेस्तरां, होटल, चाय की दुकानों, ढावों, भोजनालयों और घरों में नौकरों के रूप में काम करने के लिये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर रोक लगा दी है।

बाल श्रमिकों की वास्तविक स्थिति – उपरोक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान बालकों को कहाँ तक संरक्षण प्रदान कर पा रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :–

जनवरी, 2000 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में हैं, इनकी संख्या 6 करोड़ तक है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो कि काँच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, में 50 हजार से ज्यादा बाल श्रमिक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ ये बच्चे गर्मियों के दिन में भट्टी के नजदीक जिसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लगातार 12 घंटे कार्य करते हैं। इतने अधिक तापमान में कार्य करने के कारण वे विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ बाल मजदूर मृत्युदर भी अधिक है।[8]

बेगूसराय[9] (बिहार) की जिला सामाजिक उत्थान समिति के सर्वेक्षण के अनुसार जिले के 1100 छोटे बड़े होटलों, चाय की दुकानों, ईंटों की 25 चिमनियों में पाँच हजार 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों से 11 घंटों तक कठिन काम कराया जाता है, काम के दौरान अगर

उन्हें नींद आ जाय तो उनकी पिटाई की जाती है और बीमार होने पर दवा आदि का भी प्रबन्ध नहीं किया जाता है।

अलीगढ़ जनपद[10] के तालों और इमारती साज सामान के निर्माण, पालिस व प्लेटिंग का काम कारखानों में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बाल श्रमिक 12 घंटे तक कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इन बाल श्रमिकों में से अधिकांश को श्वास की बीमारी हो गयी है, क्योंकि इन कारखानों में रसायन और वर्फो की रगड़ से उड़ने वाले विषैले कण फैंफड़ों में घुस जाते हैं। कारखाना अधिनियम के अनुसार श्वास के जरिए कणों को फैंफड़ों में न पहुँचाने देने के लिए मास्क जरूरी है, वे इन कारखानों में नहीं है। इन बाल मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं होता है। अधिकांश बाल मजदूरों का पंजीकरण भी नहीं है।

कड़े से कड़े कायदे कानून बन जाने के बावजूद रोहतक[11] (हरियाणा) में बाल मजदूरों की हालत 'बन्धुआ' जैसी ही है। यहाँ ऐसे बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा है जो नरक की जिन्दगी जीते हैं। इन्हें 10 से 12 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। इन्हें हफ्ते में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता है।

सूरत के हीरा उद्योग[12] में लगभग दस हजार बाल श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश की मासिक आय रू0 1001 से 3000 रू0 तक है। साथ ही उद्योग में उनकी कार्यदशाएँ भी अच्छी नहीं हैं, उनसे कठोर श्रम कराया जाता है। उन्हें स्थायी औहदा, भविष्य निधि, अर्जित छुट्टी आदि लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं, जिनके वे हकदार हैं।

भारतवर्ष में बाल श्रमिकों के शोषण के संदर्भ में सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जो सर्वेक्षण किए गये हैं उनमें से फिरोजाबाद का काँच चूड़ी उद्योग, कश्मीर एवं मुरादाबाद का पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग, मिर्जापुर, पलामू, वाराणसी, इलाहाबाद का कालीन बनाने का उद्योग, तमिलनाडू के आतिशबाजी बनाने के उद्योग, शिवकाशी के माचिस बनाने के उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग सर्वाधिक चर्चित हुए हैं। यही वे स्थान हैं जहाँ बच्चों से कठोर कार्य लगातार 12 घंटे तक जहरीले धुँए और असहनीय तापमान में कराया जाता है। इस सबके परिणामस्वरूप बच्चे जवान होते–होते टी0वी0 या फैंफड़ों की दूसरी अन्य

बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यह भी देखा जा रहा है कि अधिकांश बाल श्रमिक विभिन्न नशीली चीजों का भी सेवन करते हैं।

सन् 2001 की जनगणना आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारतवर्ष में 1.26 करोड़ बाल श्रमिक हैं। अधिकाधिक बाल मजदूरी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (1927997), आन्ध्र प्रद्रेश (1363339), राजस्थान (1262570), बिहार (1117500), मध्य प्रदेश (1065259) का क्रम आता है। होटलों, रेस्तराओं, चाय की दुकानों आदि में 61 हजार से अधिक बच्चे कार्यरत हैं। यह आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत वर्ष में बालश्रम आज भी एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान हैं[13]।

बालश्रम समाज की गम्भीर समस्याओं में से एक वैश्विक समस्या है। प्रत्येक बालक को भोजन, शिक्षा, खेल, स्नेह पाना उसका नैसर्गिक तथा मानवाधिकार है, किन्तु बाल श्रमिकों को अपेक्षित मात्रा में इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भारतवर्ष में बालश्रम की स्थिति और भी भयावह है। इन्दौर (म0प्र0) के बाल श्रमिकों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि वह विभिन्न सामाजार्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश बालश्रमिकों से 6 से 7 घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता है। प्रायः मालिक उनसे निर्धारित समय से अतिरिक्त कार्य भी लेते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकांश बाल श्रमिक अस्वस्थ हैं तथा किसी भी बाल श्रमिक को बालश्रम सम्बन्धी कानूनों की जानकारी नहीं है। ये सभी बाल श्रमिक सामाजार्थिक दृष्टि से गम्भीर शोषण के शिकार है तथा अमानवीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।[14]

अयाज अहमद ने अलीगढ़ नगर के 2306 बाल मजदूरों के परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक अधिसंरचना का तुलनात्मक सर्वेक्षण 2009–10 में किया। यह अध्ययन 3230 बाल श्रमिकों पर केन्द्रित है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इन बाल श्रमिकों में से सर्वाधिक 61 प्रतिशत बाल श्रमिक ताला उद्योग से जुड़े हैं। 21 प्रतिशत बच्चे होटल–ढाबों पर काम कर रहे हैं तथा शेष 18 प्रतिशत बच्चे अन्य उद्योग में काम कर रहे हैं। ताला उद्योग में कार्य करने वाले बच्चे, फेंफड़े सम्बन्धी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। अधिकांश

बाल श्रमिक ऐसे थे जिनके सिर पर पिता का साया नहीं है और परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है। फैक्ट्री में काम करने, रिक्शा चलाने एवं कूड़ा चुनने आदि से उनकी सेहत को बड़ा नुकसान हो रहा है। आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक बच्चों को काम पर लगा देते हैं। बालश्रम को रोकने के लिए आवश्यक है कि ऐसे बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाय तथा बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को जबरन कार्य करने से रोका गया तो वह भविष्य में भिखारी तक बनने को मजबूर हो सकते हैं।[15]

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग आठ करोड़ चालीस लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। इनमें से अठत्तर लाख बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें जबरदस्ती काम पर भेजा जा रहा है। इन्हें काम पर जबरदस्ती भेजने का प्रमुख कारण पारिवारिक आर्थिक कारण है। ये बच्चे काम करके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसी कारण उन बच्चों के अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने की अपेक्षा कार्य करने हेतु भेजना अधिक आवश्यक समझते हैं। जनगणना आँकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिन बच्चों को जबरदस्ती काम करने के लिए भेजा जाता है उनमें से 53 प्रतिशत लड़के हैं तथा शेष 47 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। इन बाल श्रमिकों से अमानवीय वातावरण में कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें इसके बदले अल्प वेतन दिया जाता है।[16]

बाल श्रमिक समस्या के निराकरण हेतु सुझाव – श्रम कानून के तहत बाल श्रमिकों के लिए जो भी कानून बनाए गये हैं, इनका विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण व्यापक स्तर पर समाज की गरीबी, अशिक्षा, विषमता और बेरोजगारी, जनसंख्या आधिक्य, भ्रष्टाचार तथा उद्योगपतियों के निहित स्वार्थ आदि हैं। आर्थिक विकास के मौजूदा चरण में बच्चों को मजदूरी से हटाना व्यावहारिक नहीं होगा। अतः अति आवश्यक है कि बाल श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं को और अनुकूल बनाया जाय।[17] इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. बाल श्रमिकों की पारिवारिक, आर्थिक दशा सुधारने की विशेष योजनाएँ प्रारम्भ की जानी चाहिए। बालश्रमिकों के माता–पिता को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में धन

दिया जाना चाहिए जिससे गरीब माता–पिता को अपने बच्चों को काम पर लगाने की मजबूरी भी नहीं रहेगी और साथ ही वे बच्चों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहजता के साथ कर सकेंगे। साथ ही बाल श्रमिकों के अभिभावकों को अनौपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सरकारी कोष बनाया जाय।

2. बाल श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए **'बाल श्रमिक नगर'** बाल श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले जाऐं जिनमें बाल श्रमिकों से हल्के कार्य जैसे अगरबत्ती, साबुन, दियासलाई, छापे आदि के कार्य कराये जायें और इन वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त धन को साप्ताहिक उनके खाते में जमा किया जाए। इन्हीं बाल श्रमिक नगरों में बाल श्रमिकों को निःशुल्क अनौपचारिक, व्यावसायिक शिक्षा एवं स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराया जाय। इस बाल श्रमिक नगर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में सरकारी एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जाए। लगभग इसी प्रकार का एक प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से जयपुर में किया जा चुका है।

3. जनपद स्तरों पर जयपुर की भाँति **'घरेलू नौकर रोजगार कार्यालय'** खोले जाए जिनमें 14 वर्ष तक के बच्चों का पंजीकरण किया जाए। इस कार्यालय के माध्यम से जनपद के निवासियों के लिए घरेलू नौकर ही उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि बाल श्रमिकों की शोषण से रक्षा भी करेंगे।

4. श्रम निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि निरीक्षकों को विधिवत प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें कानूनों की पूर्ण जानकारी करायी जाये जिससे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

5. बाल मजदूरों के कल्याणार्थ बनाये गये 'सैल' को कानूनी अधिकार दिये जायें जिससे यह कठोरता से नीति और कार्यक्रमों को लागू करा सके तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिला सकें।

6. बाल श्रमिकों की बढ़ती हुयी संख्या को रोकने के लिए आवश्यक है कि बाल श्रमिक परिवारों में जनसंख्या वृद्धि को रोका जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए **'परिवार कल्याण कार्यक्रमों'** को युद्ध स्तर पर लागू किया जाय।

7. बाल श्रमिकों को भूख, प्यास, गरीबी, बेरोजगारी आदि से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है कि शासन की दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति। जिसके बिना समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकेगा और जो योजनाएँ, कार्यक्रम और सुझाव इस समस्या के निराकरण हेतु दिये जायेंगे वे केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जायेंगे।

8. बाल श्रमिकों का स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं है तथा इन्हें उचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को कानून बनाकर बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाल श्रमिकों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो सके।

9. बाल श्रमिकों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य रक्षण, व्यावसायिक रोगों से सुरक्षापाने के उपायों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।

10. **'विशेष बाल श्रम विद्यालयों'** के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर इस स्तर का बनाया जाय जिससे बाल श्रमिक इन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात औपचारिक विद्यालयों में सहजता के साथ प्रवेश पा सकें।

11. बाल श्रम उन्मूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विकेन्द्रीकरण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद–15 (3)
2. भारत का संविधान, अनुच्छेद–23
3. भारत का संविधान, अनुच्छेद–24
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद–39

5. भारत का संविधान, अनुच्छेद–42
6. भारत का संविधान, अनुच्छेद–43
7. 'समाज कल्याण' नई दिल्ली, मई, 1990, पृ0 14–15
8. त्रिपाठी, रमाशंकर, ''बाल–श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्यायें'', अमृत प्रकाशन, वाराणसी, 2004, पृ0 7
9. 'बाल श्रमिक कानून का खुले आम उल्लंघन बेगूसराय (बिहार) में', 'जनसत्ता', नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984
10. 'बाल मजदूरों की सेहत की ओर कोई ध्यान नहीं – अलीगढ़ जनपद में', जनसत्ता, नई दिल्ली, 4 मार्च, 1984
11. 'नर्क की जिन्दगी जीते ये बाल मजदूर – रोहतक (हरियाणा) में', 'जनसत्ता', नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984
12. देसाई, किरण एवं राज, निखिल, ''सुकुमार अवस्था में कठोर श्रम'' वी0वी0 गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, 2002, पृ0 128–149
13. श्रीवास्तव, अर्चना, ''योजना'', नई दिल्ली, मई 2008, पृ0 21–23
14. सिंह, आरती, ''बाल श्रमिकों की सामाजार्थिक एवं शैक्षणिक समस्याएँ'', राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 13, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2011, पृ0 102–104
15. अहमद, आयज, ''पहले दूर करो मजबूरी तब तक रोको बाल मजदूरी'', अमर उजाला, अलीगढ़, 12 जून, 2016, पृ0 16
16. चतुर्वेदी, उमेश, ''अब भी काम पर जा रहे हैं बच्चे'', अमर उजाला, अलीगढ़, 05 अक्टूबर, 2016
17. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, वार्षिक प्रतिवेदन, 1983–84

————